

सीमा पार दवालयान की कार्यवाही के लयि मसौदा रूपरेखा

प्रलिमिंस के लयि:

दवाला और दवालयान संहति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, UNCITRAL मॉडल कानून

मेन्स के लयि:

सीमा पार दवालयान की कार्यवाही के लयि मसौदा रूपरेखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने [दवाला और दवालयान संहति](#) (IBC) के तहत UNCITRAL ([अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग](#)) मॉडल के आधार पर सीमा पार दवाला कार्यवाही के लयि एक मसौदा ढाँचा प्रकाशति कयि है।

- इसे कॉरपोरेट देनदारों के साथ-साथ व्यक्तगत गारंटर दोनों के लयि लागू करने का प्रस्ताव है।
- एक व्यक्तगत गारंटर वह व्यक्तयि संस्था है जो ऋण चुकाने में वफिल कसीं अन्य व्यक्तयि के ऋण के भुगतान का वादा करता है।

प्रमुख बडि

परचिय:

○ सीमा पार दवाला कार्यवाही:

- यह कई न्यायालयों में संपत्ति और देनदारयों वाली संकटग्रस्त कंपनयों के समाधान के लयि प्रासंगकि है।
- मोटे तौर पर सीमा पार दवाला प्रक्रयि उन देनदारों से संबंधति है जिनकी वदिशों में संपत्ति और लेनदार हैं।
- सीमा पार दवाला कार्यवाही के लयि ढाँचा ऐसी कंपनी की वदिशी संपत्ति के स्थान, लेनदारों और उनके दावों की पहचान तथा दावों के भुगतान के साथ-साथ वभिन्नि देशों में अदालतों के बीच समन्वय की प्रक्रयि की अनुमति देता है।
- पछिले कुछ दशकों के दौरान वशिष रूप से UNCITRAL मॉडल कानून के तत्वावधान में वभिन्नि न्यायालयों ने सीमा पार दवाला मुद्दों से नपिटने के लयि मज़बूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दयि है।

○ आईबीसी में वर्तमान स्थति:

- जबकि वदिशी लेनदार एक घरेलू कंपनी के खिलाफ दावा कर सकते हैं, आईबीसी वर्तमान में अन्य देशों में कसीं भी दवाला कार्यवाही की स्वतः मान्यता की अनुमति नहीं देती है।

■ महत्त्व:

- IBC में सीमा पार दवाला अध्याय को शामिल करना एक बड़ा कदम होगा और यह कानून को परपिक्व क्षेत्राधिकारों के बराबर लाएगा।
- यह भारतीय फर्मों को वदिशी कंपनयों से अपने बकाया का दावा करने में सक्षम बनाएगा, जबकि वदिशी लेनदारों को भारतीय कंपनयों से ऋण वसूल करने की अनुमति देगा।
- यह भारतीय बैंकों की वदिशी शाखाओं को भारत में अपना बकाया वसूल करने में मदद करेगा।
- यह भारत में दवाला समाधान के वचिार में एक घरेलू कॉरपोरेट देनदार की वदिशी संपत्ति को भी लाएगा और तनावग्रस्त संपत्तयों के समाधान में होने वाली देरी से बचाएगा।

■ UNCITRAL मॉडल कानून:

- UNCITRAL मॉडल सीमा पार दवाला मुद्दों से नपिटने के लयि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढाँचा है।
 - इसे ब्रटिन, अमेरिका, दक्षणि अफ्रीका, दक्षणि कोरयिा और सगिापुर समेत 49 देशों ने अपनाया है।
- मॉडल कानून सीमा पार दवाला के चार प्रमुख सदिधांतों से संबंधति है:

- डफिल्ट करने वाले देनदार के खिलाफ घरेलू दवाला कार्यवाही में भाग लेने या शुरू करने के लयि वदिशी दवाला पेशेवरों और वदिशी लेनदारों तक सीधी पहुँच।
- वदिशी कार्यवाही की मान्यता और उपचार का प्रावधान।
- घरेलू और वदिशी अदालतों तथा घरेलू व वदिशी दवाला व्यवसाययों के बीच सहयोग।

- वभिन्न देशों में दो या दो से अधिक समवर्ती दवािलिया कार्यवाहियों के बीच समन्वय। इस संबंध में मुख्य कार्यवाही 'सेंटर ऑफ मैन इंटरैस्ट' (COMI) की अवधारणा द्वारा निर्धारित की जाती है।
 - किसी कंपनी के लिये 'सेंटर ऑफ मैन इंटरैस्ट' का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि कंपनी अपने व्यवसाय को नियमित आधार पर कहाँ संचालित करती है और इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान क्या है।
 - यह राज्यों को मध्यस्थता प्रक्रिया संबंधी कानूनों में सुधार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।
- **भारतीय फ्रेमवर्क और मॉडल कानून के बीच अंतर:**
 - जो देश 'UNCITRAL' के मॉडल कानून को अपनाते हैं, वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ बदलाव करते हैं।
 - 'भारतीय सीमा पार दवािलिया फ्रेमवर्क वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सीमा पार दवािला कार्यवाही के अधीन होने से बाहर करता है, वहीं कई देश 'सीमा पार दवािलिया फ्रेमवर्क के प्रावधानों से बैंकों और बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों को छूट देते हैं।'
 - '**परी-पैक इनसॉल्वेंसी रजिऑल्यूशन प्रोसेस**' (PRIP) से गुजरने वाली कंपनियों को सीमा पार दवािलिया कार्यवाही से छूट दी जानी चाहिये क्योंकि PIRP के प्रावधान हाल ही में पेश किये गए हैं और 'परी-पैक मैकेनिज़्म के तहत न्यायशास्त्र अपने प्रारंभिक चरण में है।
 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के त्वरित समाधान के लिये PIRP को इस वर्ष की शुरुआत में IBC के तहत पेश किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग:

- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में इस उद्देश्य से की गई थी कि यह सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहयोग हेतु मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है।
- अपने कई मॉडल कानूनों, कन्वेंशनों, और कार्य समूहों के बीच मज़बूत वार्ता के माध्यम से, 'UNCITRAL' ने सदस्य देशों को उनकी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापार कानून के सिद्धांतों की तुलना, जाँच, वार्ता और उन्हें अपनाने हेतु एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है।
- भारत उन आठ देशों में से एक है, जो 'UNCITRAL' की स्थापना से ही उसके सदस्य हैं।

दवािला और दवािलियापन संहिता:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दवािला समाधान से संबंधित वभिन्न कानूनों को समाहित करता है।
 - **इन्सॉल्वेंसी:** यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
 - **बैंकरप्सी:** यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी संस्था को न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दवािलिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।
- यह दवािलियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एकसमान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस